**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**

**<u>परीक्षा अनुभाग</u>**

(केवल आई ए एंड ए डी के लिए)
संख्या 484 /19-परीक्षा/नकद पुरस्कार/2020
दिनांक 17/12/2020

2020 का परिपत्र संख्या 17

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा में उच्चतम अकं प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नकद पुरस्कार प्रदान करने की योजना।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2007 के परिपत्र सं. 10 जो दिनांक 18/07/2007 की सं. 521/परीक्षा/11-97/V के अन्तर्गत जारी पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है तथा यह कहा जाता है कि 2021 में आयोजित होने वाली एसएएस परीक्षा-I से प्रभावी उल्लिखित नकद पुरस्कार की राशि निम्नानुसार संशोधित की गई हैः-

| | मौजूदा राशि | संशोधित राशि |
|---|---|---|
| पहला | रू 4000/- | रू 10,000/- |
| दूसरा | रू 2500/- | रू 6250/- |
| तीसरा | रू 1600/- | रू 4000/- |
| चौथा | रू 1000/- | रू 2500/- |

2 2007 के परिपत्र सं.10 में सदंर्भित 1982 के परिपत्र सं. 3 में निर्धारित अन्य नियम और शर्ते समान रहेंगीं।

3 परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए एसएएस परीक्षा के संभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के अलावा, एक प्रोत्साहन देने के लिए, नकद पुरस्कार का लाभ भी प्राप्त किया जा सके,

यह अनुरोध किया जाता है कि पुरस्कार विजेताओं की सूची को नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा, वह कार्यालय जहां से पुरस्कार विजेता संबंधित है, ऐसे अभ्यर्थियों की फोटो सहित उनकी उपलब्धियों के संक्षिप्त सारांश के साथ गतिविधि रिपोर्ट में और उन कार्यालयों द्वारा अन्य प्रकाशनों में भी छापे जाएं।

4 अपने कार्यालय के स्टाफ के बीच उपरोक्त आदेशों का व्यापक प्रचार किया जाए।

5 कृपया इस परिपत्र की पावती ई मेल examsection@.gov.in पर भेजें।.

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**
**परीक्षा अनुभाग**

संख्या 460/09 -परीक्षा/वार्षिक कार्यक्रम/पूरक परीक्षा/2020
दिनांक 27/11/2020

2020 का परिपत्र संख्या 16

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता।

महोदय/महोदया,

एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षाओं के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी, जो परीक्षा के कार्यक्रम/ डेट शीट के अनुसार परीक्षा के सभी पेपरों की पूर्णता से पूर्व सेवानिवृत होने वाले है, की पात्रता पर स्पष्टीकरण मांगने से संबंधित कई संदर्भ प्राप्त किए जा रहे हैं।

2 इस संबंध मे, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक कर्मचारी किसी भी विभागीय परीक्षा के लिए तब तक पात्र है जब तक वह कर्मचारी पूरी परीक्षा अर्थात डेट शीट/ कार्यक्रम के अनुसार पूरी परीक्षा की अन्तिम तिथि तक सेवा में है।

भवदीय
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**

**<u>परीक्षा अनुभाग</u>**

(केवल आईएएंडएडी के लिए)
संख्या 433/09 -परीक्षा/वार्षिक कार्यक्रम/पूरक परीक्षा/2020
दिनांक 03/11/2020

2020 का परिपत्र संख्या 15

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा 2019 का परिणाम।

महोदय/महोदया,

दिनांक 18/10/2020 को आयोजित की गई राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया है।. परिणाम संबंधित कार्यालय को ई-मेल द्वारा भेजा जा रहा है।

2 वह अधिकारी जिन्हें राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण घोषित किया गया है, वह 1 नवम्बर 2019 से एक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार हैं।

भवदीय
मनीष कु
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली -110124**

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

(केवल आई ए एंड ए डी के लिए)

संख्या 432/18 -परीक्षा/सलेअ से वलेअ पदोन्नति/2020

दिनांक 03/11/2020

2020 का परिपत्र संख्या 14

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः वरिष्ठ लेखा अधिकारी/व.लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण का मूल्यांकन।

महोदय/महोदया,

कृपया व.ले.अ/व.ले.प.अ के रूप में पदोन्नति के लिए पैनल हेतु एएओ के अनिवार्य प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण डिविजन के दिनांक 24.09.2020 के परिपत्र सं. 420/ट्रे.डि./373/2019 का संदर्भ लें। अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में, एक केन्द्रीकृत प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षा का विवरण निम्नानुसार हैः-

1 अंकों का वितरण निम्नानुसार होगाः-

| लेखापरीक्षा शाखा | | लेखा और हकदारी शाखा | |
|---|---|---|---|
| क) सभी लेखापरीक्षा शाखाओं के लिए सामान्य विषय<br>ख) शाखा विशिष्ट विषय | 25%<br>25% | लेखा विशिष्ट विषय | 50% |
| सामान्य (प्रशा. इत्यादि) विषय | 50% | सामान्य (प्रशा. इत्यादि) विषय | 50% |

2. परीक्षा दो घंटे की अवधि की होगी।
3. परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे।

4. प्रश्न बहु विकल्पीय प्रकार के होंगे।

5. परीक्षा के तरीके (पेन पेपर/कम्पयुटर आधारित) के बारे में व्यवहार्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्णय लिया जाएगा।.

6. अभ्यर्थी उस स्टेशन से परीक्षा में बैठेगें जहां वह तैनात होंगे, इस शर्त के अधीन कि वहां आई ए एवं ए डी कार्यालय है। ऐसे अभ्यर्थियों के मूल कार्यालय उन कार्यालयों और अभ्यर्थियों को तदनुसार सूचित कर सकते है।

भवदीय

मनीष कु

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**

**परीक्षा अनुभाग**

(केवल आई ए एंड ए डी के लिए)
संख्या 379/08 -परीक्षा/संवर्ग पुर्नगठन /2020
दिनांक 29/10/2020

2020 का परिपत्र संख्या 13

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः सहायक पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण का मूल्यांकन।

महोदय/महोदया,

वरि. लेखापरीक्षक / वरि.लेखाकारों की पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में सहायक पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति के संबंध में दिनाकं 15.10.2020 के स्टाफ विंग परिपत्र सं. 43 -स्टाफ (एप-1)/2020 और दिनांक 27.10.2020 के प्रशिक्षण डिविजन परिपत्र सं. 444/ट्रे.डि./246/2015 का सदंर्भ लें।. अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति पर, एक केन्द्रीकृत प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी है। प्रशिक्षण मूल्यांकन का विवरण निम्नानुसार हैः-
1 परीक्षा दो भागों में होगी अर्थात लेखापरीक्षा/लेखा कार्य और सामान्य प्रशासनिक कार्य।. अंको का वितरण निम्नानुसार होगाः-

| लेखापरीक्षा शाखा | | लेखा और हकदारी शाखा | |
|---|---|---|---|
| क) क्षेत्रीय लेखापरीक्षा- अभिलेखों और लेखों की प्रणाली और प्रक्रिया इत्यादि की अनिवार्य जाँच,<br>ख) केन्द्रीय लेखापरीक्षा | 50% | राज्य सरकार के बजट का मूल्यांकन, वीएलसी में डाटा लेने का प्रबन्धन, जीपीएफ आईटी अनुप्रयोग, पेंशन प्रसंस्करण आईटी अनुप्रयोग, राजपत्रित हकदारी प्रबन्धन प्रणाली, शिकायत सुधार, संविधियों/नियमों जैसे आरटीआई,भर्ती, कानूनी कार्य इत्यादि | 50% |
| सामान्य प्रशासनिक कार्य | 50% | सामान्य प्रशासनिक कार्य | 50% |

2. परीक्षा दो घंटे की अवधि की होगी।.
3. परीक्षा में 100 प्रश्न होंगें।.
4. प्रश्न बहु विकल्पीय होंगें।.
5. अर्हक अंक 40% होंगें।.
6. कोई नकारात्मक अंकन नही किया जाएगा।.
7. परीक्षा के तरीके (पेन पेपर/कम्पयुटर आधारित) के बारे में व्यवहार्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

भवदीय

मनीष कु

**(मनीष कुमार)**

**महानिदेशक (परीक्षा)**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय**
**10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**
**<u>परीक्षा अनुभाग</u>**

संख्या.76/260-परीक्षा/एसएएस/पंजी/फरवरी-मार्च/2013
दिनांक 20/10/2020

2020 का परिपत्र संख्या 12

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- क्षेत्रीय कार्यालयो द्वारा विभागीय परीक्षाओं का आयोजन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर सलाह के लिए हमें कई संदर्भ प्राप्त हो रहे है। इस संबंध में विभागाध्यक्ष (एचओडी), सीएजी एमएओ (प्रशा.) खण्ड -। के क्रमशः पैरा 9.2.4, पैरा 9.4, पैरा 9.6 और पैरा 9.8 द्वारा एसएएस परीक्षा के लिए प्रारंमिक परीक्षा, लेखाकारों/लेखापरीक्षको के लिए विभागीय परीक्षा, क्लर्क की पदोन्नति के लिए 12वीं पास मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए विभागीय परीक्षा, और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा करवाने में सक्षम हैं।

2. स्थानीय स्थिति का आकंलन और तदनुसार कार्यवाही करने में विभागाध्यक्ष बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनाकं 10/09/2020 को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) संदर्भ हेतु संलग्न है।

3. तदनुसार विभागाध्यक्ष इस संबंध में उचित निर्णय ले सकते है।

भवदीय

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

संलग्नः यथोपरि

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय**
**10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**
**परीक्षा अनुभाग**

संख्या 75/03-परीक्षा/अतिरिक्त अवसर/2016/खण्ड-1
दिनांक 19/10/2020

2020 का परिपत्र संख्या 11

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः- एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनुमत अवसरों की संख्या

महोदय/महोदया,

एसएएस परीक्षा पास करने के अवसरों से संबंधित परीक्षा विंग के 2020 के परिपत्र सं. 08 तथा अन्य आदशों का अधिक्रमण करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने एसएएस परीक्षा पास करने के अवसरों की संख्या बढा कर 10 से 12 कर दी है। संशोधित प्रणाली का विवरण निम्नानुसार हैः-

(क) संशोधित प्रणाली के अन्तर्गत, एसएएस परीक्षा उत्तीण करने के लिए कुल अवसर बारह (6 सामान्य + 6 अतिरिक्त ) होंगे।.

(ख) एसएएस परीक्षा उत्तीण करने की समय सीमा आठ वर्ष होगी, एक वर्ष में दो परीक्षाएं मानते हुए (8 वर्ष के लिए 12 अवसर)। यह छः अतिरिक्त अवसर पहले की तरह लगातार नही है।

(ग) अतिरिक्त छः अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए अनुमत हो सकते हैं, जिन्होने पहले (सामान्य) छः अवसरों (6+6 = 12) में पाँच पेपर पास कर लिए हों।

(घ) सीबीटी में पहले पंजीकरण से बारह अवसर या आठ वर्ष, जी भी पहले हो, को समाप्त करने के बाद पात्र कर्मचारियों को एसएएस परीक्षा में नए अभ्यर्थी के रूप में छूट प्राप्त पेपरों के अग्रेषण के बिना बैठने की अनुमति दी जाएगी।

(ङ) वह पात्र कर्मचारी जो पहले (सामान्य) छः अवसरों में पाँच पेपर पास नही कर पाए को छूट प्राप्त पेपरों के अग्रेषण के बिना (आठ वर्ष पूर्ण होने की

(च) नए अभ्यर्यी का अर्थ है कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा देना, अनिवार्य प्रशिक्षण इत्यादि लेना होगा, जो पहली बार बैठने वाले अभ्यर्थियों पर लागू है।

(छ) जिन्होंने दस अवसर समाप्त कर दिए है उन्हें अगली एसएएस परीक्षा -1 से दो और अवसर अनुमत होंगे और उन्हे यह दो अवसर दो वर्षो के अन्दर अर्थात चार परीक्षाओं (2021 की परीक्षा -1 से गणना की जाएगी) में लेने होंगें।

(ज) संशोधित प्रणाली में भी, एसएएस परीक्षा के लिए जब एक अभ्यर्थी पंजीकरण करेगा तो वह अवसर माना जाएगा।

(झ) संशोधित प्रणाली में अभ्यर्थिता वापिस लेने की कोई गुंजाइश नही है।

(ञ) सीधी भर्ती एएओ के संबंध में उन्हें परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थायीकरण और एसओ की नियमित नियुक्ति के लिए संबंधित शाखा से एसएएस परीक्षा उर्त्तीण करनी होगी।

(ट) एसएएस परीक्षा की आठ वर्ष की गिनती सहित यह संशोधित प्रणाली अगली 2021 की एसएएस परीक्षा -1 से लागू होगी।

भवदीय

मनीष कु.

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय**
**10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**
**<u>परीक्षा अनुभाग</u>**

संख्या.370/04-परीक्षा/एमएसओ अध्याय-9-संशोधन/2020
दिनांक 15/10/2020

2020 का परिपत्र संख्या 10

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- मुख्य और अनुपूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षाओं का पुन: नामकरण

1. एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। मुख्य और अनुपूरक परीक्षा, नए अभ्यर्थी 1 सितम्बर निर्धारित कट आफ तिथि के अनुसार मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं।

2. सक्षम प्राधिकारी ने अब यह निर्णय लिया है कि मुख्य और अनुपूरक परीक्षाओं के बीच का अन्तर हटा दिया जाएगा और नए/मौजूदा अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी जो कि वर्ष की परीक्षा -1 और परीक्षा -2 के रुप में पुन: नामित किए जाएगें। एसएएस/ आरए/ आई/ सीपीडी परीक्षाओं के लिए अधिकारियों की प्रात्रता का निर्धारण करने के लिए कट आफ तिथियां वर्ष में परीक्षा -1 के लिए 1 मार्च और परीक्षा 2 के लिए 1 सितम्बर होगी, जब तक अन्यथा किसी विशेष वर्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है।

3. आगामी वर्ष के दौरान परीक्षा-1 और परीक्षा-2 के लिए पात्र सभी नए अभ्यर्थियों के लिए प्रांरमिक परीक्षा और आवश्यक प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक वर्ष में केवल एक बार आयोजित किया जाना चहिए।

4. उपरोक्त संशोधन वर्ष 2021 से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में से पहली परीक्षा से लागू होगा।

भवदीय
मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या म.नि.(परीक्षा)/संशोधितपरिणाम/मुख्य/2019/आरएई
दिनांक:- 22-09-2020

परीक्षा अनुभाग

2020 का परिपत्र संख्या 09

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

बिषय:- मुख्य परीक्षा 2019 के आरएई –I (आयकर) पेपर की पुन: परीक्षा के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अविदित कारणों से मुख्य परीक्षा 2019 के आरएई-I (आय कर) पेपर की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो नवम्बर 2019 में आयोजित राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा में बैठे थे।

2. परीक्षा से संबंधित दिनांक, समय और अन्य निर्देश नियत समय पर सूचित किए जाएगें।

भवदीय,

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या 317/03-परीक्षा/अतिरिक्त अवसर /2016

दिनांक:- 21-09-2020

परीक्षा अनुभाग

2020 का परिपत्र संख्या 08

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

बिषय:- एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अवसरों की संख्या।

महोदय/महोदया,

मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत, अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा (एसएएस) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अवसरों की सामान्य संख्या छः है। तथापि, वह अभ्यर्थी जो छः बार में न्यूनतम पाँच पेपर पास कर लेते हैं, उन्हें एसएएस परीक्षा के बाकी पेपरों को पास करने के लिए चार लगातार अतिरिक्त अवसर दिए जाते हैं। अत: वर्तमान में एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनुमत अवसरों की संख्या 10 (6+4) है।

2. एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनुमत अवसरों की समीक्षा की गई थी। यह पाया गया कि एसएएस परीक्षा पास करने वाले अवसरों की संख्या और एसएएस परीक्षा पास करने वाले कार्मिकों की गुणवता में संतुलन होना आवश्यक है। यह भी स्वीकार किया गया कि कार्मिकों को लगातार एसएएस परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो उनका ज्ञान संवर्धित करेगी।

3. तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि पात्र कार्मिकों को अपने अनुमत 10 (दस) अवसरों (6+4) को समाप्त करने के बाद एसएएस परीक्षा में छूट प्राप्त पेपरों को अग्रेषित किए बिना नए सिरे से एसएएस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, सीधी भर्ती एएओ के संबंध में, उन्हें अपनी संबंधित शाखा से एसएएस परीक्षा परिवीक्षा अवधि के दौरान, स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए उत्तीर्ण करनी होगी। यह अगली एसएएस मुख्य परीक्षा से लागू है।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या 159/05-परीक्षा/वार्षिक कार्यक्रम/पूरक परीक्षा/2020

दिनांक:- 18-08-2020

परीक्षा अनुभाग

2020 का परिपत्र संख्या 07

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

**बिषय:- एसएएस/आरए/आई/सीपीडी I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 की पूरक परीक्षा के लिए ऑन लाइन पंजीकरण।**

महोदय/महोदया,

सामान्यता एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है- पूरक परीक्षा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही और मुख्य परीक्षा तीसरी तिमाही में। तथापि, कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत, पूरक परीक्षा (मुख्य परीक्षा 2019 के अनुरूप) आज तक आयोजित नही की जा सकी। इसलिए, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और जैसे ही स्थिति अनुकूल होती है एक अल्पकालीन सूचना पर परीक्षा आयोजित करने हेतु तैयार रहने का निर्णय लिया गया है।

2. आगामी परीक्षा में बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों का पंजीकरण प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण पोर्टल 26 अगस्त 2020 से प्रारंभ होगा। इस चरण में केवल मौजूदा अभ्यर्थियों का पूर्व पंजीकरण (अर्थात जिन्होंने 2010 से 2019 के दौरान एसएएस/आरए/ आई/सीपीडी परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था) किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश संलग्न है (अनुलग्नक I एवं II) ।

3. कार्यालय के विभागाध्यक्ष, (एचओडी), जहां परीक्षा का पंजीकरण किया जाएगा, एक अधिकारी को परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित कर सकते है जो उप महालेखाकार के पद से कम के न हो, जो अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया को प्रबंधित करेंगें। ईआरओ द्वारा आनलाइन पंजीकरण फार्म में प्रविष्ट डाटा को सत्यापित और प्रमाणित करना अपेक्षित होगा। ईआरओ के रूप में नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर पांच कार्य दिवसों में ई-मेल examsection@cag.gov.in पर सूचित किया जा सकता है।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

मनीष

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

अनुलग्नक-I

एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा के आनलाइन पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश

चरण – 1

इस चरण को पूर्व पंजीकरण कहा जाता है, जिसमें ईआरओ अपने लागइन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके लागइन करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए लागइन आईडी और ओटीपी जेनरेट करने के लिए पंजीकरण फार्म का भाग-I भरकर अभ्यर्थियों को भेज देगा। मुख्य परीक्षा 2019 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के पास पहले से ही उनका लागइन आईडी है और उन्हें आगामी परीक्षा के अभ्यर्थियों की सूची में सीधे जोडा जा सकता है।

चरण -2

इस चरण में उम्मीदवार लागइन करेगा और पहले से ही भरे हुए पंजीकरण फार्म की जांच करेगा। यदि अभ्यर्थी कार्यालय द्वारा भरे गए डाटा से सहमत है तो वह पंजीकरण फार्म भाग – II को भरने के लिए आगे बढ़ेगा और उसे सब्मिट करेगा। अभ्यर्थियो को सलाह दी जाती है कि SUBMIT बटन पर क्लिक करने से पहले विवरण की जांच भली-भान्ति करे और फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर लें। यदि अभ्यर्थी पंजीकरण फार्म के भाग-I में पहले से भरे गए डाटा से असहमत है, तो उसे तुरन्त संबंधित ईआरओ से संपर्क करना चाहिए।

चरण – 3

ईआरओ को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण फार्म को देखने और इसमें दर्ज किए गए डाटा का सत्यापन करना अपेक्षित है। सेवा रिकार्ड और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड में बेमेलता के मामले में EDIT विकल्प का प्रयोग कर आवश्यक सुधार किया जा सकता है। यदि ईआरओ अभ्थर्थी के संबंधित परीक्षा में बैठने की पात्रता और पंजीकरण फार्म में दर्ज डाटा की सटीकता के बारे में संतुष्ट है तो वह VALIDATE विकल्प का उपयोग कर अभ्यर्थिता मान्य करेगा। कार्यालय रिकार्ड के लिए भरें गए फार्म का प्रिंट आउट इस चरण में लिया जाना चाहिए।

चरण – 4

इस चरण में एचओडी अपने लागइन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर ईआरओ द्वार मान्य उम्मीदवारों की सूची देखेंगें और अभ्यर्थिता अनुमोदित/।अननुमोदित करेगें। अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख चैक बाक्स प्रदर्शित किए जाएगें और केवल चैक किए गए अभ्यर्थियों को ही एचओडी द्वारा APPROVE विकल्प का उपयोग कर अनुमोदित किया जा सकता है। विशेष परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस स्तर पर एक चैक लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी।

नोट:-

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण सामान्यतया संवर्ग नियंत्रण कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए। तथापि, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामलें में, पूर्व पंजीकरण उस कार्यालय के ईआरओ द्वारा किया जा सकता है, जिसमें वह नियुक्त है, यदि उस कार्यालय को कार्यालय कोड आवंटित किया गया है। हालांकि, अभ्यर्थी द्वारा फार्म आनलाइन प्रस्तुत करने के बाद डाटा का सत्यापन और मान्यकरण उसके मूल कार्यालय के ईआरओ द्वारा किया जाना है।

अनुलग्नक- II

अद्यतित पंजीकरण पोर्टल 2020

भाग –I : ईआरओ के लिए दिशानिर्देश

1. परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) अपने पंजीकरण पोर्टल का उपयोग कर लागइन करेंगें। सफल लागइन करने पर ईआरओ का डेशबोर्ड खुलेगा।

2. पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व पंजीकरण डाटा के तहत अभ्यर्थियों की सूची और पंजीकरण फार्म खाली होगा। ईआरओ को उन पात्र अभ्यर्थियों को एड करना अपेक्षित है जो आगामी परीक्षा में बैठना चाहते है। इसमें दो श्रेणियां होंगी:-

   क) अभ्यर्थी जिनके पास पंजीकरण पोर्टल खोलने के लिए पहले से लागइन आईडी है।

   ख) अभ्यर्थी जिनके पास पंजीकरण पोर्टल खोलने के लिए लाग इन आईडी नही है।

3. ईआरओ ऊपर क्रम सं.2 (क) में अभ्यर्थियों को पिछले परीक्षा डाटा टैब से सीधे जोड सकते हैं। पेपरों में छूट की स्थिति मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम से सत्यापित की जा सकती है।

4. ऊपर क्रम सं. 2 (ख) पर अभ्यर्थियों को जोडने के लिए ईआरओ को लागइन आईडी जेनरेट करना अपेक्षित है जैसा नीचे दर्शाया गया है:

   क) नए अभ्यर्थियों जिन्होंने 2009 के बाद किसी परीक्षा के लिए कभी पंजीकृत नही किया है, के लिए लागइन आईडी सृजित करने के लिए ईआरओ को पंजीकृत फार्म का भाग – I भरने और सबमिट करने की आवश्यकता है।

   ख) मौजूदा अभ्यर्थियों जिन्होंने 2010 से जून 2019 के दौरान किसी परीक्षा के लिए पंजीकृत किया था, के संबंध में ईआरओ को लागइन आईडी बनाने के लिए उनकी पिछली परीक्षा को सेलेक्ट करना होगा जिनके लिए उन्होंने पंजीकृत किया था और पिछली परीक्षा की इन्डेक्स संख्या ऐटंर करनी होगी। सबमिट करने पर, सिस्टम अभ्यर्थी की प्रोफाइल दर्शाएगा जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और वर्ग (एसएएस के मामले में)। यह उपयोग किए गए अवसरों की संख्या भी दर्शाएगा और पेपर, जिसमें छूट प्राप्त की हो, यदि कोई हो, तो वह भी दर्शाएगा। इन विवरणों के सत्यापन के बाद, ईआरओ को पंजीकरण फार्म भाग-I की शेष फील्डस भरने और उन्हें सबमिट करने की आवश्यकता है।

5. ऊपर क्रम सं. 3 एवं 4 के आधार पर सिस्टम द्वारा आगामी परीक्षा के लिए लागइन आईडी वार **अभ्यर्थियों की सूची** प्रदर्शित की जाएगी। ईआरओ सूची की जांच कर सकता है और सूची के नीचे प्रासंगिक टैब पर क्लिक कर **अभ्यर्थियों को लागइन आईडी भेज** सकता है।

6. लागइन आईडी की प्राप्ति के बाद, अभ्यर्थी पंजीकरण पोर्टल पर लागइन करेंगे और आनलाइन पंजीकरण फार्म भरेंगे/सबमिट करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा सबमिट भरे हुए फार्म **पंजीकरण फार्म** के तहत परीक्षा वार प्रदर्शित किए जाएगें। ईआरओ को फार्म में भरे हुए डाटा को सत्यापित और वैद्य करना आवश्यक है जिसे बाद में विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा अपनी आईडी का प्रयोग कर आनलाइन अनुमोदित /अननुमोदित किया जा सकता है।

7. यदि किसी भी स्तर पर सिस्टम द्वारा प्रदर्शित डाटा सेवा रिकार्ड/परिणाम से मेल नही खाता है तो ईआरओ ऐसे सभी अभ्यर्थियों के संबंध में एमएस एक्सेल में एक समेकित रिपोर्ट पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व परीक्षा अनुभाग की ई-मेल examreg@cag.gov.in पर भेजें और इस संबंध में अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करें।

## महत्वपूर्ण बिन्दु : ईआरओ लागइन

- एक परीक्षा के लिए पंजीकरण एक अवसर के रूप में गिना जाता है, चाहे उसमें अभ्यर्थी बैठे या नही। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थिता की वापसी की अनुमति दी गई है, तो अवसर नहीं गिना जाएगा।
- सभी मौजूदा अभ्यर्थियों के लिए, मूल डाटा (अभ्यर्थी का प्रोफाइल) पिछली परीक्षा का इन्डेक्स नम्बर का प्रयोग कर भरा जाएगा। मूल डाटा में (i) नाम (ii) पिता का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) लिंग और (v) वर्ग (एसएएस के मामले में) शामिल है। पूर्व भरे गए डाटा को एडिट करने का विकल्प नही है। त्रुटि/बेमेलता के मामले में, मामले की सूचना परीक्षा विंग को examreg@cag.gov.in पर दी जाए।
- लागइन आईडी जेनरेट करने के लिए ईआरओ द्वारा पिछला इन्डेक्स नम्बर दर्ज किया जाना चाहिए भले ही पिछली परीक्षा जिसके लिए अभ्यर्थी ने पंजीकरण किया था वह उस परीक्षा से भिन्न हो जिसमें वह बैठना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अभ्यर्थी आरएई में पहली बार बैठना चाहता है, तो लागइन आईडी जेनरेट करने के लिए ईआरओ द्वारा दर्ज किया जाने वाला पिछला इन्डेक्स नम्बर एसएएस परीक्षा का होगा, क्योंकि यह पिछली परीक्षा थी जिसके लिए उसने पंजीकरण किया था।

## भाग – II अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

1. अभ्यर्थी पंजीकरण पोर्टल पर अपने क्रिडेंशियल्स का उपयोग कर लागइन कर सकते है। सफल लागइन करने पर, अभ्यर्थी का डैशबोर्ड खुलेगा।
2. अभ्यर्थी को उस परीक्षा का चयन करना अपेक्षित है जिसमें वह बैठना चाहता/चाहती है।
3. यदि वह पहले (2010 से 2019 के दौरान) उस चयनित परीक्षा में बैठ चुका था तो उसका पिछला इन्डेक्स नम्बर सिस्टम पर प्रदर्शित होगा।
4. आगे बढने पर पंजीकरण फार्म प्रदर्शित होगा।
5. पंजीकरण फार्म का भाग-I पहले से भरा होगा। यदि अभ्यर्थी प्रदर्शित डाटा से सहमत है तो वह भाग-II भर सकता है और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद फार्म आनलाइन सबमिट कर सकता है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे तुरन्त संबंधित ईआरओ के संज्ञान में लाया जाए।

## महत्वपूर्ण बिन्दु – अभ्यर्थी लागइन

- रीपीटर्स के लिए पिछली इन्डेक्स नम्बर अभ्यर्थी के फार्म में **स्वत: भरा जाएगा**- एडिट करने का कोई विकल्प नही होगा।
- दस्तावेजों को अपलोड करना समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा गैर एसएएस/प्री-सीबीटी परीक्षाओं को पास करने के लिए किसी पेपर में छूट का दावा सी एडं एजी के एमएसओ (प्रशा.) खण्ड –I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.10 के नीचे नोट की शर्तों में केवल ईआरओ द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा के **मूल प्रमाण-पत्र/परिणाम के उचित सत्यापन** के बाद अनुमत किया जाएगा।
- एसएएस परीक्षा में **शाखा के अन्तरण** के मामले में मुख्यालय अनुमति पत्र/परिपत्र सं. एवं तिथि दर्ज करने की आवश्यकता है और उसे ईआरओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- **प्रशिक्षण** पूर्णता स्थिति – हाँ या छूट (नही के लिए कोई विकल्प नही है) ईआरओ द्वारा सत्यापित की जाएगी।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय**
**10 बहादुर शाह जफर मार्ग**
**नई दिल्ली -110124**

संख्या.149/05-परीक्षा/वार्षिक कार्यक्रम/मुख्य परीक्षा/2020
दिनांक:28-07-2020

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

2020 का परिपत्र संख्या 06

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड – I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.8 के अनुसार, एसएएस परीक्षा के अभ्यर्थियों के लाभ हेतु प्रधान महालेखाकार /महानिदेशक/महालेखाकार/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड – I के अध्याय 9 के पैरा 9.3 के अनुसार, राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी अपेक्षित है।

2. कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षा के संचालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते है:-

क) एसएएस और आरए परीक्षा के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

(i) कोविड – 19 महामारी के कारण सभी संस्थान व्यक्तिगत रूप के बजाय ऑन लाइन सीखने पर मजबूर हो गए है।इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, प्रधान महालेखाकार/महानिदेशक/महालेखाकार/ प्रधान निदेशक ऑनलाइन प्रशिक्षण के अन्तरण पर विचार कर सकते हैं।

(ii) वर्तमान में एसएएस परीक्षा सात शाखाओं में आयोजित की जाती है जिसमें 27 पेपर होते हैं, जबकि आरए परीक्षा चार शाखाओं के लिए आयोजित की जाती है जिसमें 2 पेपर होते हैं। सीखाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रम मोडयूल को ऑनलाइन के माध्यम से पढाने हेतु उचित रूप से संशोधित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आरटीआई और भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों के साथ सहयोग उपयोगी हो सकता है। राजस्व लेखापरीक्षा प्रशिक्षण के

लिए सीआरए/सीईडीएआर द्वारा तैयार ऑनलाइन सेल्फ-असेसमेंट टेस्ट (जीओएसएटी) पर विचार किया जा सकता है। (https://cedar.gov.in/).

(iii) जहाँ तक कार्यालय से बाहर व्यावहारिक प्रशिक्षण का संबंध है (उदाहरण के लिए एसएएस परीक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी कार्यालय), प्रधान महालेखाकार/महानिदेशक/महालेखाकार/प्रधान निदेशक मौजूदा स्थिति के आधार पर छूट देने पर विचार कर सकते हैं।

(iv) इसके पश्चात् ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान पंजीकरण फार्म में प्रशिक्षण पूर्णता स्थिति दर्शाना अनिवार्य होगा। इसलिए, मुख्यालय कार्यालय को प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण-पत्र भेजने की कोई आवश्यकता नही है।

ख) एसएएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा

(i) प्रारंभिक परीक्षा यदि पहले से आयोजित नही की गई है, तो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के बाद आयोजित की जा सकती है। ऐसे मामलों में, सभी पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कोविड-19 पर केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों, विशेष रूप से आपसी दूरी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।

(3) कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या.147/06-परीक्षा/प्रो. क्वालिफिकेशन/2020
दिनांक:21-07-2020

परीक्षा अनुभाग

2020 का परिपत्र संख्या 05

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- व्यवसायिक योग्यता के प्रति पेपर में छूट पर सुझाव

महोदय/महोदया,

प्रतिभा आकर्षित करने तथा ज्ञान संवर्धन को बढावा देने के उद्देश्य से, अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भारत के सनदी लेखाकार संस्थान और भारत का लागत लेखाकार संस्थान (जिसे पूर्व में भारत के लागत एवं निर्माण कार्य लेखाकार संस्थान के रूप में जाना जाता था) से कुछ व्यवसायिक योग्यताएं प्राप्त करने पर मान्यता दी जाती है। तद्नुसार, ऐसी व्यवसायिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड – I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.10 के नीचे नोट 2 एवं 3 की शर्तों में एसएएस परीक्षा के कुछ पेपरों में बैठने से छूट दी जाती है।

2. इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय परीक्षाओं जैसे एसएएस/आरए/आई/सीपीडी के पेपरों में छूट प्रदान करने के लिए व्यवसायिक योग्यताओं के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया हैं, जो कि पेपरों के पाठ्यक्रम/विषयवस्तु की समानता पर निर्भर करता है। अत: इस का व्यापक प्रचार किया जाए और इस संबंध में 31 अगस्त 2020 तक संलग्न प्रारूप में अपने सुझाव ई-मेल examsection@cag.gov.in पर प्रेषित करें।

3. विभिन्न कार्यालयों से, विशेष रूप से भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा कि विभागीय परीक्षाओं में उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित मौजूदा छूटों के अलावा व्यवसायिक योग्यताओं के प्रति कौन सी छूट दी जा सकती है।

(4)कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

## व्यवसायिक योग्यता के प्रति पेपर में छूट पर सुझाव

| क्रम सं. | विवरण | सुझाव |
|---|---|---|
| 1. | संस्थान का नाम | |
| 2. | क्रम सं. 1 में संस्थान द्वारा दी गई व्यवसायिक योग्यता | |
| 3. | क्रम सं. 2 में व्यवसायिक योग्यता के प्रति एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षाओं के प्रति पेपर (रों) में छूट का सुझाव | |
| 4. | निम्नलिखित सहित क्रम सं. 3 में छूट के सुझाव हेतु तार्किक सार<br>क) संबंधित पेपर का नाम<br>ख) परीक्षा की विषयवस्तु/पाठ्यक्रम<br>ग) परीक्षा का स्वरूप<br>घ) परीक्षा की मान्यता<br>ङ) संस्थान की प्रतिष्ठा | |
| 5. | समर्थन दस्तावेज/वेब लिंक | |

नोट: भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष उनके संबंधित कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित कर सकते है और प्रासंगिक/उपयोगी सुझाव उपरोक्त प्रारूप में भेज सकते है। कृपया पुनरावृत्ति से बचें।

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
# 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
# नई दिल्ली -110124

संख्या.134/05-परीक्षा/वार्षिक कार्यक्रम/मुख्य परीक्षा/2020
दिनांक:15-06-2020

परीक्षा अनुभाग

2020 का परिपत्र संख्या 04

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखासेवा (एस.ए.एस./राजस्व लेखापरीक्षा (आरए)/प्रोत्साहन (आई)/सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी) मुख्य परीक्षा, 2020

महोदय/महोदया,

अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखासेवा (एस.ए.एस)/राजस्व लेखापरीक्षा (आरए)/प्रोत्साहन (आई)/सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी) मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) लेखापरीक्षा कार्यालयों में एसएएस (लेखापरीक्षा) परीक्षा:
अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा 2020 भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(2) लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में एसएएस परीक्षा:

(i) लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के पात्र अधिकारियों को या तो अभाव वाले सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर समामेलन हेतु एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा 2020 या सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए एसएएस (सिविल लेखा) परीक्षा 2020 लिखने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के पात्र अधिकारियों द्वारा एक बार विकल्प का प्रयोग करने पर या तो एसएएस (सिविल लेखा) परीक्षा या एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा में आगे परिवर्तन नही किया जाएगा।

(iii) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। अभाव वाले सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों में

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर समामेलन के लिए एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा 2020 लिखने वाले लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के पात्र अधिकारियों को अनुमति देते समय इस प्रावधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) प्रोत्साहन परीक्षा

(i) प्रोत्साहन परीक्षा /सतत व्यवसायिक विकास परीक्षा 2020 पात्र अधिकारियों के लिए सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(ii) राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा/सतत वयवसायिक विकास परीक्षा 2020 पात्र अधिकारियों के लिए सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(4) कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
# 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
# नई दिल्ली -110124

संख्या.47/म. नि. (परीक्षा)/परिणाम/एसएएस/आरए/
आई/सीपीडी-I&II/मुख्य परीक्षा/2019
दिनांक:14-02-2020

परीक्षा अनुभाग

**2020 का परिपत्र संख्या 03**

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- एस.ए.एस./आरए/आई/सीपीडी- **I&II मुख्य परीक्षा 2019** का परिणाम।

महोदय/महोदया,

एस.ए.एस./आरए/आई/सीपीडी-I&II मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए गए है। परिणाम डाउनलोड करने के लिए लिंक सीएजी वेबसाइट पर परीक्षा के अन्तर्गत दिया गया है जैसा नीचे दर्शाया गया है:

Results of SAS/RA/I/CPD-I&II Main Examination 2019

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित कार्यालय के परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के लाग इन और पासवर्ड का प्रयोग कर परिणाम देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

2. परिणाम सिस्टम जेनरेटड हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी का इन्डेक्स नम्बर,उसकी शाखा, अवसर और छूट क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी सत्यापित किए जाने चाहिए। परिणाम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय अपने विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से dgexam@cag.gov.in पर ईमेल भेज सकते है।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
मनीष कु
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2020 का परिपत्र संख्या 02

संख्या. 32/04-परीक्षा/यूएन आडिट/2019
दिनांक:- 03 फरवरी 2020

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- यूएन आडिट परीक्षा 2020 के लिए आनलाइन पंजीकरण।

महोदय/महोदया,

यूएन आडिट परीक्षा 2020, **25 फरवरी 2020** को आयोजित होना निर्धारित है। अभ्यर्थियों का आनलाइन पंजीकरण **06 फरवरी 2020** से आरंभ होगा। अभ्यर्थियों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि **11 फरवरी 2020** है। विभागाध्यक्ष (एचओडी) और परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आनलाइन पंजीकरण के समय प्रयोग की गई लाग इन आईडी और पासवर्ड ही यूएन आडिट परीक्षा 2020 के पोर्टल पर उपयोग की जा सकती है। तथापि, यदि लाग इन आईडी पहले प्रदान नही की गई थी, तो इस संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष dgexam@cag.gov.in पर ईमेल द्वारा अनुरोध भेज सकते है।

2. आनलाइन पंजीकरण फार्म तीन भागों में विभाजित किया गया है- भाग – I उम्मीवार का प्रोफाइल, भाग – II परीक्षा विवरण और अपलोड सेक्शन (दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए) और भाग - III एसीआर/एपीएआर ग्रेडिंग के लिए। भाग- I & III कार्यालय द्वारा भरा जाना है जबकि अभ्यर्थियों द्वारा भाग – II भरना और प्रासंगिक दस्तावेज, उनके फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अपेक्षित है। पंजीकरण फार्म के प्रारूप के साथ आनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश अनुलग्नक में दिए गए है।

3. यूएन आडिट परीक्षा 2020 में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र सं. 43 द्वारा अधिसूचित अनुमोदित पात्रता मानदण्ड पर आधारित होगी। ईआरओ द्वारा आनलाइन पंजीकरण फार्म में प्रविष्ट डाटा को सत्यापित और प्रमाणित करना अपेक्षित है। विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्तुत अभ्यर्थी अनुमोदित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं।

4. यदि आनलाइन पंजीकरण के दौरान कोई कठिनाई आती है तो संबंधित कार्यालय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा) को फोन (011 – 23236510/9007150900) पर संपर्क कर सकते हैं। बडी समस्या, यदि हो तो, तुरन्त महानिदेशक (परीक्षा) के संज्ञान में लाई जानी चाहिए।

5. कृपया इस परिपत्र की पावती ईमेल examsection@cag.gov.in पर भेजें।

भवदीय,
मनीष कुमार
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

<u>परीक्षा अनुभाग</u>
2020 का परिपत्र संख्या 01

संख्या. 21/04-परीक्षा/यूएन आडिट/2019
दिनांक:- 17 जनवरी 2020

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय:- यूएन आडिट परीक्षा 2020

महोदय/महोदया,

यूएन आडिट परीक्षा 2020 फरवरी 2020 के अंत में आयोजित होने की संभावना है और उसके लिए आनलाइन पंजीकरण फरवरी 2020 के प्रारंभ में किया जाएगा। परीक्षा के लिए योग्यता मानदण्ड और पाठ्यक्रम परीक्षा अनुभाग के 2019 के परिपत्र संख्या 43 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार यूएन आडिट परीक्षा में बैठने के लिए अनिवार्य रूप से Introduction to IT Audit' पर इन हाऊस टेस्ट पास करना आवश्यक नही है।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि यूएन आडिट 2018 (भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक) के आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जो उपरोक्त परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम के भाग – II में शामिल की गई है, सीएजी की वेबसाइट पर IAAD KMS में लागइन कर देखी जा सकती है।

भवदीय,
हस्ता/-
(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)